

Explanation.—For the purposes of this notification, the above mentioned websites mean the websites managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

[F. No. 20/13/01/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

सं. 70/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 926 (अ).—केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों के अनुसार, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल व सेवा या दोनों की आपूर्ति हेतु, बीजक तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

No. 70/2019 – Central Tax

G.S.R. 926(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) to rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

3. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.

[F. No. 20/13/01/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

सं. 71/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 927 (अ).—केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम 2019, के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिसूचना संख्यांक 31/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 द्वारा बनाया गया, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 457(अ)